उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4335 / जबलपुर, दिनांक 26/09/2019
दो–14–3/18

श्री हनुमान सिंह सोलंकी, कुक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के विरूद्ध रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक बी/3761/दो–14–3/2018, जबलपुर दिनांक 24.07.2018 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर कुक के पद पर कार्यरत रहते हुये मई 2012 से जनवरी 2018 तक की अवधि में विभिन्न दिनांको में (कुल 374 दिवस) अपने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने रहने के आरोप पर विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 31.01.2019 में आपके द्वारा आरोप स्वीकार किये जाने से सिद्ध पाए जाने, रजिस्ट्री द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्र. ए/2658, जबलपुर दिनांक 22.08.2019 द्वारा दिनांक 29.08.2019 में व्यक्तिगत सुनवाई पर विचारोपरांत जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुये आपको कर्तव्य से बिना सूचना अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का घोर कदाचार का दोषी पाते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) एवं 22 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत आपकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।

(राजेन्द्र कुमार वाणी) 26/9/19
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4336 / जबलपुर, दिनांक 26/09/2019
दो–13–3/18

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार, (एम.)............. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्रीमती पद्मिनी स्वामी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मप्र. जबलपुर,
8. कु. प्रचीती तारणेकर, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.
9. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
12. श्री हनुमान सिंह सोलंकी, कुक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)